

राजस्थान सरकार
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

(राज्यस्तरीय सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ)



क्रमांक :-प.10(698)परि/स.सु./BLS Trg. Cent/2015/पार्टV-A

24888

दिनांक 19-10-2022

Abessys Technologies India Pvt.Ltd.

97, Abadhuri, Kalward Road,

Behind SBI Bank, Jhotwara, Jaipur

विषय :- BLS के आवेदन प्राप्त करने के लिये ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन हेतु Web application विकसित करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि BLS के आवेदन प्राप्त करने के लिये ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन हेतु Web application विकसित करने हेतु कोटेशन के अन्तर्गत आपकी दरें न्यूनतम पाई गई है। अतः उक्त Web application विकसित करने हेतु निम्नानुसार कार्यादेश दिया जाता है :-

कार्य का विवरण	स्वीकृत दर
Design, Development, Testing, Implementation and maintenance of the BLS (Basic Life Support) web application	Rs. 60,000 (Inclusive all Taxes)

1. कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 20 दिवस की अवधि में Web application विकसित करने सम्बन्धी समस्त कार्य पूर्ण किये जायेगे।
2. इस कार्य में Security Audit : DoITC के माध्यम से कराई जायेगी।
3. Web application की Hosting Rajasthan State Data Center (RSDC) पर कराई जायेगी।
4. Web application की maintenance का कार्य Web application develop करने वाली कम्पनी/ एजेंसी द्वारा एक वर्ष के लिए किया जायेगा, जिसके लिये कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा। अतः स्वीकृत राशि रु. 60000/- की 10 प्रतिशत राशि का भुगतान एक वर्ष की अवधि पूर्ण होने के पश्चात किया जायेगा।
5. भविष्य में Web application में आवश्यकतानुसार परिवर्तन हेतु अलग से नियमानुसार भुगतान कर कार्य कराया जा सकता है।
6. Angular 10 or latest one and Dotnet Core Version 5.0 Application technology using MySql as Database का उपयोग करते हुए Web application का विकास किया जायेगा।
7. Testing का कार्य Web application develop करने वाली कम्पनी/ एजेंसी द्वारा ही किया जायेगा।


(निधि सिंह)

संयुक्त परिवहन आयुक्त (स.सु.)

24889-892

क्रमांक :-प.10(698)परि/स.सु./BLS Trg. Cent/2015/पार्टV-A

दिनांक 19-10-2022

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, आयुक्त परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (स.सु.) परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. रक्षित पत्रावली।

